G8R: 68 ⇒ CARPENTER

रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, मार्च 29—अप्रैल 4, 2015, शनिवार/चैत्र 8—चैत्र 14, 1937

No. 14] NEW DELHI, MARCH 29—APRIL 4, 2015, SATURDAY/CHAITRA 8—CHAITRA 14, 1937

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

सा.का.नि. 67.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1980 को आंशिक रूप से उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के नियोजन और प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्रों के कार्यालयों में प्रवेश (इन टेक) सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक, निम्न श्रेणी लिपिक, सेवा यान ड्राइवर और कार्यशाला परिसर के समूह 'ग' काडर जिसके अंतर्गत बहु कार्य कर्मचारिवृंद भी है के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यावसायिक पुर्नवास केन्द्र (समूह 'ग') अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2014 है।

1332 GI/2015

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation :— 1. Director of Employment Exchanges/Joint Director of Employment Exchanges —Chairman 2. Deputy Director (Rehab.)/ Assistant Director (Rehab.) of VRC concerned —Member 3. Principal of the local Craftsman Training Institute/Deputy Director (Training) of Advanced Training Institute/National Vocational Training Institute/Foreman Training Institute/Industrial Training Institute —Member	Not applicable.

[F. No. DGE & T-A-11011/1/2001-EE-II (SIU) Pt.]

S. R. TOOPO, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2015

सा.का.नि. 68.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केंद्रीय मत्स्य कारिता संस्थान (वर्ग-3 और वर्ग-4 पद) भर्ती नियम, 1968 को, जहां तक उनका संबंध बढ़ई के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन में बढ़ई, समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, बढ़ई, (समूह 'ग') पद भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बढ़ई	4* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	लागू नहीं होता	आयु 18 और 25 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किन, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ; (ii) व्यावसायिक परीक्षण या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र से राष्ट्रीय	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(7)

प्रमाणपत्र; बढ़ई के कार्यक्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित बढ़ई व्यवसाय में प्रमाणपत्र ।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं), उन कारणों के लिए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान —अध्यक्ष 2. कार्यालयाध्यक्ष, केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई एकक —सदस्य 3. कार्यालयाध्यक्ष, केन्द्रीय मत्स्य, नौचालन इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान, विशाखापटनम एकक —सदस्य 4. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मत्स्य नौचालन इंजीनियरी और प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य 5. ऐसा समूह 'क' अधिकारी जिसके अधीन समूह 'ग' कर्मचारी कार्य करते हों । —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 3-52/2014-प्रशासन-5]

योगेन्द्र कुमार, अवर सचिव

1332 GI/15-4

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 27th March, 2015

G. S. R. 68.— In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries Operatives (Class III and Class IV Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relates to the post of Carpenter, except as respect things done or omitted to be done before such supersessions, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Carpenter a Group 'C' Post in the Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, namely:-

1. Short title and commencement. —(1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin Carpenter (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, classification and pay band, grade pay or pay scale. — The number of posts, their classification and the pay band, grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3 Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment to the said posts, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.- No person,----

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Carpentar	4* (2015) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5200–20200 plus grade pay of Rs.1900	Not applicable	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)

(6)
Note 1 : The crucial date for determining the age- limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit, in each case shall be last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(i) 10th pass from a recognised Board or Institute ; (ii) National Certificate from Vocational Training or Industrial Training Institute or Industrial Training Centre. Trade Certificate. In Carpenter Trade with one year experience In the field of carpentry. Note: 1-Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case sufficient number of qualified candidates are not available. Note:2- The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authonry in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not Applicable	2 years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
Direct recruitment.	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee : (for considering confirmation) consisting of :- 1. Director, Central Institute of Fisheries Nautical Engheering & Training —Chairman; 2. Head of Office, Central Institute of Fisheries Nautical Engineering & Training, Unit Chennal —Member; 3. Head of Office, Central Institute of Fisheries Nautical Engineering & Training Visakhapatnam Unit —Member; 4. Senior Administrative Officer Central Institute of Fisheries Nautical Engineering & Training —Member. 5. A group A Officer under whom the group C official to work --Member	Not applicable.

[F. No. 3-52/2014-Admn-V]

YOGINDER KUMAR, Under Secy.

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2015

सा.का.नि. 69.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (आशुलिपिक श्रेणी -1)(समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 1984 को, जहां तक उनका संबंध गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग आशुलिपिक श्रेणी -1 पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय के गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग आशुलिपिक श्रेणी -1 के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग आशुलिपिक श्रेणी -1 पद भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।